

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टॉक

(श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, आर ए एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा)

दावा संख्या :-92/2022

निर्णय दिनांक:-16.01.2025

उगवान

शिवजीलाल पुत्र सुखपाल जाति भीमा निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टॉक

- वादी

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टॉक

-प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थित:-

1. वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।
2. परोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य सक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-

वादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाशत की आराजी खाता संख्या 16 खसरा संख्या 101 रकबा 0.35है० खसरा संख्या 102 रकबा 0.37है० खसरा संख्या 150 रकबा 0.92है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.64है० हिस्सा 1/12 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 39 खसरा संख्या 32 रकबा 0.62है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 425 खसरा संख्या 1717 रकबा 0.11है०, खसरा संख्या 1718 रकबा 0.19है० खसरा संख्या 1781 रकबा 0.12है० खसरा संख्या 1782 रकबा 0.18है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.60है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम सूथडा खाता संख्या 8 खसरा संख्या 122 रकबा 4.51है० खसरा संख्या 123 रकबा 0.34है० कुल किता 2 रकबा 4.85है० हिस्सा 17/56 वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा तहसील उनियारा जिला टॉक में स्थित है। वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 16 तन रामनगर को वादी ने तत्कालिन खातेदार पाना, धनवाई, संतरा, रूमाली, मोडी गुर्जर निवासी सूथडा से क्रय की थी, जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है तथा खाता संख्या 39 तन रामनगर तत्कालीन खातेदार पाना धनवाई संतरा रूमाली मोडी से खरीद की थी जिसमें वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा वादी ने तत्कालीन खातेदार करना, प्रतास, गोपी, पुत्रान भूरा से क्रय की थी, जिसमें वादी का नाम सहवन से श्योजीलाल पुत्र सुखपाल एवं खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा वादी ने तत्कालीन खातेदार संतरा, चन्द्रकला, शीला पुत्रीया ग्यारसीलाल से क्रय की थी, जिसमें भी वादी का नाम सहवन से शोजीलाल पुत्र सुखपाल अंकित दर्ज हो गया है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल है, जो कि प्रार्थी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक बचत खाता, जनआधार कार्ड राशनकार्ड भामाशाह कार्ड व पुश्तेनी भूमि खाता संख्या 424 ग्राम सूथडा व समस्त सरकारी दस्तावेजों में अंकित है। वादी सरकारी कर्मचारी है जिसने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदशुदा उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण जब वादी के पक्ष में खोला गया तो उसमें जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद किये गये नामो अर्थात खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा में श्योजीलाल अंकित हो गया है जबकि सही नाम शिवजीलाल है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में वादी का नाम शिवजीराम, शोजीराम, श्योजीलाल दर्ज हो जाने के कारण वादी को उक्त भूमि पर केसीसी बनवाने, सरकारी अनुदान प्राप्त करने व समर्थन मूल्य में कृषि उपज विक्रय करने आदि में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में अपना नाम दूरुस्त करवाने हेतु तहसीलदार द्वारा अदालत में वाद दायर करने की हिदायत दी गई। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरुस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत है। वादी की अधियाचना है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरुस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाकर वादी के खातेदार काशतकार घोषित फरमाने का आदेश प्रदान करे।

G:\revenue\FESLA\Faisala samet\Faisla satya.docx272




उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टॉक

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार उनियारा की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। परोकार सरकार द्वारा वाद पत्र का बिन्दुवार जवाब पत्रांक 4103 दिनांक 14.10.2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार 1 प्राथी का नाम ग्राम महाराजकंवरपुरा में जमाबन्दी के खाता संख्या 8 किता 2 रकबा 4.85है० में शोजीलाल पुत्र सुखपाल जाति मीना, ग्राम रामनगर के खाता संख्या 39 किता 1 रकबा 0.62है० व खाता संख्या 16 किता 3 रकबा 1.64है० में शिवजीराम पुत्र सुखपाल जाति मीना व ग्राम सूथडा के खाता संख्या 425 किता 3 रकबा 0.60है० में श्योजीलाल पुत्र सुखपाल जाति मीना के नाम संयुक्त खातेदारी में भूमि दर्ज रिकार्ड है। 2 ग्राम महाराजपुरा के वर्तमान खाता संख्या 8 में दर्ज भूमि प्राथी को नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 20.09.2012 को बेचान द्वारा, ग्राम रामनगर के खाता संख्या 39 में प्राथी के नाम दर्ज भूमि नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 26.08.2000 को बेचान व खाता संख्या 16 में दर्ज भूमि नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 26.08.2000 को बेचान के द्वारा एवं ग्राम सूथडा के खाता संख्या 425 में प्राथी के नाम दर्ज भूमि नामान्तरकरण संख्या 878 दिनांक 24.10.2009 को बेचान द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। प्राथी के आधार कार्ड, जनआधारकार्ड बैंक खाता पासबुक मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, में प्राथी का नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल दर्ज है। ग्राम सूथडा में मजमे आम जानकारी करने पर उपस्थित मोतबिरान द्वारा वर्तमान जमाबन्दी की नकल में दर्ज नाम शोजीलाल, शिवजीराम, श्योजीलाल एवं प्राथी द्वारा शुद्ध करावाये जाने वाला नाम शिवजीलाल को एक ही व्यक्ति होना बताया गया है एवं बोलचाल की भाषा में शिवजीलाल को शोजीलाल के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। प्राथी शिवजीलाल को अपने पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 878 दिनांक 24.10.2009 को विरासत से प्राप्त भूमि ग्राम सूथडा के वर्तमान खाता संख्या 424 किता 12 रकबा 5.58है० में प्राथी का शुद्ध नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल जाति मीना दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परोकार सरकार का जवाब प्राप्त होने पर उक्त वाद में तनकीयात कायम कर तनकी विवेचित की गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री भंवरलाल गुर्जर निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोक PW1, श्री देशराजसिंह मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना ग्राम सूथडा तहसील उनियारा जिला टोक PW2 व श्री शिवजीलाल पुत्र सुखपाल निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोक PW3 के न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य PW1, PW2 व PW3 द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों में PW1 वादी श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री भंवरलाल गुर्जर निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोक एवं PW2 श्री देशराज सिंह मीना पुत्र हीरालाल मीना निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोक द्वारा कथन किया गया कि उक्त हम वादी शिवजीलाल मीना पुत्र सुखपाल मीना निवासी सूथडा को जानता हूँ जो हमारे खेत का पड़ोसी है तथा उसने संयुक्त खातेदारी एवं कच्चेकाशत की आराजी खाता संख्या 16 खसरा संख्या 101 रकबा 0.35है० खसरा संख्या 102 रकबा 0.37है० खसरा संख्या 150 रकबा 0.92है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.64है० हिस्सा 1/12 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 39 खसरा संख्या 32 रकबा 0.62है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 425 खसरा संख्या 1717 रकबा 0.11है०, खसरा संख्या 1718 रकबा 0.19है० खसरा संख्या 1781 रकबा 0.12है० खसरा संख्या 1782 रकबा 0.18है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.60है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम सूथडा खाता संख्या 8 खसरा संख्या 122 रकबा 4.51है० खसरा संख्या 123 रकबा 0.34है० कुल किता 2 रकबा 4.85है० हिस्सा 17/56 वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक को भी भली प्रकार से जानता हूँ। वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 16 तन रामनगर को वादी ने तत्कालिन खातेदार पाना, धनबाई, सतरा, रूमाली, मोडी गुर्जर निवासी सूथडा से क्रय की थी, जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है तथा खाता संख्या 39 तन रामनगर तत्कालीन खातेदारान पाना धनबाई सतरा रूमाली मोडी से खरीद की थी जिसमें वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा वादी ने तत्कालीन खातेदार करना, प्रतास, गोपी, पुत्रान भूरा से क्रय की थी, जिसमें वादी का नाम सहवन से श्योजीलाल पुत्र सुखपाल एवं खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा वादी ने तत्कालीन खातेदार सतरा, चन्द्रकला, शीला पुत्रीया ग्यारसीलाल से क्रय की थी, जिसमें भी वादी का नाम सहवन से शोजीलाल पुत्र सुखपाल अंकित दर्ज हो गया है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल है, जो कि प्राथी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक बचत खाता, जनआधार कार्ड राशनकार्ड भामाशाह कार्ड व पुश्तेनी भूमि खाता संख्या 424 ग्राम सूथडा व समस्त सरकारी दस्तावेजों में अंकित है। बुकि वादी ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद की थी, इस कारण उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोला गया तो उसमें वादी का नाम शिवजीराम, शोजीलाल व श्योजीलाल अंकित हो गया है जबकि सही नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम,



G:\revenue\FISLA\Faisla samet\Faisla satya.docx273


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोक

खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत है। PW3 श्री शिवजीलाल पुत्र सुखपाल जाति भीना(वादी) निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक द्वारा कथन किया गया है कि मेरे संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाशत की आराजी खाता संख्या 16 खसरा संख्या 101 रकबा 0.35है० खसरा संख्या 102 रकबा 0.37है० खसरा संख्या 150 रकबा 0.92है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.64है० हिस्सा 1/12 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 39 खसरा संख्या 32 रकबा 0.62है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 425 खसरा संख्या 1717 रकबा 0.11है०, खसरा संख्या 1718 रकबा 0.19है० खसरा संख्या 1781 रकबा 0.12है० खसरा संख्या 1782 रकबा 0.18है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.60है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम सूथडा खाता संख्या 8 खसरा संख्या 122 रकबा 4.51है० खसरा संख्या 123 रकबा 0.34है० कुल किता 2 रकबा 4.85है० हिस्सा 17/56 वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक को भी भली प्रकार से जानता हुं। वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 16 तन रामनगर को वादी ने तत्कालिन खातेदार पाना, धनबाई, संतरा, रूमाली, मोडी गुर्जर निवासी सूथडा से क्रय की थी, जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है तथा खाता संख्या 39 तन रामनगर तत्कालीन खातेदारान पाना धनबाई संतरा रूमाली मोडी से खरीद की थी जिसमें वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा वादी ने तत्कालीन खातेदार करना, प्रतास, गोपी, पुत्रान भूरा से क्रय की थी, जिसमें वादी का नाम सहवन से श्योजीलाल पुत्र सुखपाल एवं खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा वादी ने तत्कालीन खातेदार संतरा, चन्द्रकला, शीला पुत्रीया ग्यारसीलाल से क्रय की थी, जिसमें भी वादी का नाम सहवन से शोजीलाल पुत्र सुखपाल अंकित दर्ज हो गया है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल है, जो कि प्रार्थी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक बचत खाता, जनआधार कार्ड राशनकार्ड भामाशाह कार्ड व पुरतेनी भूमि खाता संख्या 424 ग्राम सूथडा व समस्त सरकारी दस्तावेजों में अंकित है। चुकि मैंने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद की थी, इस कारण उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोला गया तो उसमें वादी का नाम शिवजीराम, शोजीलाल व श्योजीलाल अंकित हो गया है जबकि सही नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 16.01.2025 को पेश हुयी। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाशत की आराजी खाता संख्या 16 खसरा संख्या 101 रकबा 0.35है० खसरा संख्या 102 रकबा 0.37है० खसरा संख्या 150 रकबा 0.92है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.64है० हिस्सा 1/12 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 39 खसरा संख्या 32 रकबा 0.62है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम रामनगर, खाता संख्या 425 खसरा संख्या 1717 रकबा 0.11है०, खसरा संख्या 1718 रकबा 0.19है० खसरा संख्या 1781 रकबा 0.12है० खसरा संख्या 1782 रकबा 0.18है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.60है० हिस्सा 1/3 वाके ग्राम सूथडा खाता संख्या 8 खसरा संख्या 122 रकबा 4.51है० खसरा संख्या 123 रकबा 0.34है० कुल किता 2 रकबा 4.85है० हिस्सा 17/56 वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 16 तन रामनगर को वादी ने तत्कालिन खातेदार पाना, धनबाई, संतरा, रूमाली, मोडी गुर्जर निवासी सूथडा से क्रय की थी, जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है तथा खाता संख्या 39 तन रामनगर तत्कालीन खातेदारान पाना धनबाई संतरा रूमाली मोडी से खरीद की थी जिसमें वादी का नाम सहवन से शिवजीराम पुत्र सुखपाल अंकित हो गया है खाता संख्या 425 ग्राम सूथडा वादी ने तत्कालीन खातेदार करना, प्रतास, गोपी, पुत्रान भूरा से क्रय की थी, जिसमें वादी का नाम सहवन से श्योजीलाल पुत्र सुखपाल एवं खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा वादी ने तत्कालीन खातेदार संतरा, चन्द्रकला, शीला पुत्रीया ग्यारसीलाल से क्रय की थी, जिसमें भी वादी का नाम सहवन से शोजीलाल पुत्र सुखपाल अंकित दर्ज हो गया है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवजीलाल पुत्र सुखपाल है, जो कि प्रार्थी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक बचत खाता, जनआधार कार्ड राशनकार्ड भामाशाह कार्ड व पुरतेनी भूमि खाता संख्या 424 ग्राम सूथडा व समस्त सरकारी दस्तावेजों में अंकित है। वादी सरकारी कर्मचारी है जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदशुदा उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण जब वादी के पक्ष में खोला गया



\\F:\Revenue\FESLA\Faisla samet\Faisla satya.docx274

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

तो उसमें जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद किये गये नामों अर्थात् खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में श्योजीलाल अंकित हो गया है जबकि सही नाम शिवजीलाल है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में वादी का नाम शिवजीराम, शोजीराम, श्योजीलाल दर्ज हो जाने के कारण वादी को उक्त भूमि पर केंसीसी बनवाने, सरकारी अनुदान प्राप्त करने व समर्थन मूल्य में कृषि उपज विक्रय करने आदि में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में अपना नाम दूरस्त करवाने हेतु तहसीलदार द्वारा अदालत में वाद दाखल करने की हिदायत दी गई। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत है। वादी की अधियाचना है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दूरस्त कराने का आदेश फरमाया जावे। परोकार सरकार द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया गया कि यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में श्योजीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करते हुए शिवजीलाल अंकित किया जाता है तो सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है एवं कोई राजस्व हानि नहीं होगी।

हमने अधिवक्ता वादी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी वर्ष 2074-77 खाता संख्या 436 कित्ता 2 कुल रकबा 0.70है० वाके ग्राम सूथड़ा, खाता संख्या 424 कित्ता 12 कुल रकबा 5.58है० वाके ग्राम सूथड़ा, खाता संख्या 425 कित्ता 4 रकबा 0.60है० वाके ग्राम सूथड़ा, खाता संख्या 8 कित्ता 2 रकबा 4.58है० वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा, खाता संख्या 39 कित्ता 1 रकबा 0.62है० वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा, खाता संख्या 16 कित्ता 3 रकबा 1.64है० वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा व परोकार सरकार का जवाब पत्रांक 4103 दिनांक 14.10.2024 के साथ संलग्न नामान्तरकरण प्रतियां ग्राम महाराजपुरा के वर्तमान खाता संख्या 8 नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 20.09.2012 ग्राम रामनगर के खाता संख्या 39 नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 28.06.2000 व खाता संख्या 16 नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 28.06.2000 एवं ग्राम सूथड़ा के खाता संख्या 425 नामान्तरकरण संख्या 878 दिनांक 24.10.2009 का अवलोकन किया गया। वाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी भूमि वादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई आराजी भूमि है। जिसमें पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जिसमें उक्त आराजी भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र में सहवन से खाता संख्या 16 व खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में श्योजीलाल दर्ज हो गया है। उपर्युक्त विवेचन से न्यायालय प्रथम दृष्टया वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2074-77 खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम पुत्र सुखपाल, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम पुत्र सुखपाल, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल पुत्र सुखपाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में श्योजीलाल पुत्र सुखपाल के स्थान शिवजीलाल पुत्र सुखपाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करने का आदेश पदान किया जाता है एवं तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अनुसार अमल दरामद करवाकर राजस्व रिकार्ड दूरस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी (स)
जिल्हाधिकारी (स)
उनियारा

(डिक्री मुकदमा इबादाई)
(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्या दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक
(श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, आर ए एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :- 92/2022
निर्णय दिनांक:- 16.01.2022

उनवान
शिवजीलाल पुत्र सुखपाल जाति मीना निवासी सूथड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक
- वादीया

बनाम
तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
-प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थित:-

1. वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।
2. परोकार सरकार उपस्थित।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, आर0ए0एस0 व हाजरी श्री कुलदीप सिंह गुर्जर अधिवक्ता वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दइ व परोकार सरकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात जमाबन्दी वर्ष 2074-77 खाता संख्या 16 ग्राम रामनगर में शिवजीराम पुत्र सुखपाल, खाता संख्या 39 ग्राम रामनगर में शिवजीराम पुत्र सुखपाल, खाता संख्या 8 ग्राम महाराजकंवरपुरा में शोजीलाल पुत्र सुखपाल व खाता संख्या 425 ग्राम सूथड़ा में शोजीलाल पुत्र सुखपाल के स्थान शिवजीलाल पुत्र सुखपाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दूरुस्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है एवं तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करे। फरिकेन खर्च स्वयं वहन करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया।



शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक